



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47926

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2685 वर्ष 2026

जसवंत सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: अखिलेश यादव, दिलीप सिंह यादव
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह यादव तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याची का अभ्यावेदन यह है कि उसे दिनांक 20.02.1984 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, तत्पश्चात उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वह दिनांक 31.08.2024 को सेवानिवृत्त हुआ। तथापि, याची को देय लाभों की गणना में त्रुटि की गई है, जिसके अनुसार उसे रुपये 12,00,000/- के स्थान पर मात्र रुपये 6,13,334/- की राशि का निर्धारण किया गया तथा पारिवारिक पेंशन की गणना रुपये 19,230/- के स्थान पर रुपये 18,120/- निर्धारित की गई है, साथ ही अन्य देय लाभ भी प्रभावित हुए हैं।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची की प्रार्थना यह है कि प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे उक्त त्रुटि का परिमार्जन करते हुए याची को देय एवं अनुमन्य समस्त लाभों का पुनर्निर्धारण करें।
4. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची के दावे का परीक्षण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि याची, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए एक समग्र अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे।
उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 4 विधि के अनुसार याची के दावे पर विचार करते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।